भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 499
दिनांक 26 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

किशोरियों के लिए योजना

*499. श्री नारणभाई काछड़ियाः
श्री परबतभाई सवाभाई पटेलः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पूरे देश में किशोरियों के लिए कोई योजना (एसएजी) शुरू की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या पूरे देश में उपर्युक्त योजना के अंतर्गत लड़कियों में कौशल विकास के लिए उन्हें व्यावसायिक शिक्षा दी जा रही है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपर्युक्त योजना के अंतर्गत कितनी लड़कियों को लाभ हुआ है; और
(ङ) सरकार द्वारा उपर्युक्त योजना का दायरा बढ़ाने तथा इसकी कार्यविधि में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी — महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

*****

'किशोरियों के लिए योजना' विषय पर श्री नारणभाई काछड़िया और श्री परबतभाई सवाभाई पटेल द्वारा दिनांक 26 जुलाई, 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 499 के उत्तर के भाग (क) से (ड) में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): जी हां, किशोरियों के लिए स्कीम जो भारत सरकार द्वारा संचालित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अंब्रेला समेकित बाल विकास सेवा अवसंरचना के तहत आंगनवाड़ी सेवाओं (पूर्व में इसका नाम आईसीडीएस था) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

सरकार ने वर्ष 2017-18 के दौरान 11-14 वर्ष की स्कूल बाह्य किशोरियों के लिए स्कीम को जारी रखने तथा चरणबद्ध विस्तार के लिए मंजूरी प्रदान की। तदनुसार वर्ष 2010-11 में देश के 205 जिलों में प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई स्कीम का 2017-18 में अतिरिक्त 303 जिलों में और 1 अप्रैल, 2018 से देश के सभी जिलों में विस्तार किया गया।

योजना में 2 घटक अर्थात पोषण एवं गैर-पोषण घटक हैं। पोषण घटक के तहत 11-14 वर्ष की प्रत्येक स्कूल बाह्य किशोरी को वर्ष में 300 दिन के लिए प्रतिदिन प्रति लाभार्थी 9.50 की दर से 600 कैलोरी, 18-20 ग्राम प्रोटीन तथा सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान किया जाता है। इस स्कीम का उद्देश्य 11-14 वर्ष की स्कूल बाह्य लड़कियों को औपचारिक स्कूल में वापस जाने या स्कीम के गैर-पोषण घटक के तहत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना है। गैर-पोषण घटक के तहत अन्य सेवाओं में आईएफए संपूरण, स्वास्थ्य जांच एवं रेफरल सेवायें, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, जीवन कौशल शिक्षा तथा सार्वजनिक सेवायें प्राप्त करने पर परामर्श/मार्गदर्शन शामिल हैं।

राज्यों द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान एसएजी के तहत शामिल लाभार्थियों का राज्यवार ब्यौरा अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

(ग): 11-14 वर्ष की स्कीम बाह्य लड़कियों के लिए सरकार द्वारा किशोरियों के लिए स्कीम की सततता एवं विस्तार के लिए मंजूरी प्रदान की गई है, इसलिए इस समय स्कीम के तहत कोई व्यवसायिक प्रशिक्षण घटक नहीं है। तथापि 11-14 वर्ष की स्कूल बाह्य लड़कियों को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान की जाती है जिसमें आत्मविश्वास पैदा करना, आत्म सम्मान एवं अपने आप को जानना, निर्णय लेना, समालोचनात्मक चिंतन, संचार कौशल, अधिकार एवं पात्रता, तनाव से निपटना और समकक्ष दबाव से निपटना, कार्यसाधक साक्षरता (जहां अपेक्षित है), प्रभावी गृह प्रबंध, बजट निर्माण, बचत, लैंगिक संवेदनशीलता, बच्चों के लिए शिक्षा का महत्व आदि शामिल हैं।

(घ): प्रश्न नहीं उठता।

(ड): राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अंब्रेला आईसीडीएस के तहत आंगनवाड़ी सेवा स्कीम की अवसंरचना एवं जनशक्ति का प्रयोग करके स्कीम कार्यान्वित कर रहे हैं। उक्त स्कीम का कवरेज बढ़ाने तथा कामकाज में सुधार के लिए सरकार सुधारात्मक कदम उठाने हेतु अंतरालों की पहचान करने के लिए तिमाही/वार्षिक आधार पर नियमित अंतराल पर स्कीम के निष्पादन की समीक्षा कर रही है। स्कीम की प्रगति का जायजा लेने तथा संबंधित विभागों के बीच समन्वय एवं अभिसरण को सुदृढ़ करने के लिए भी विभिन्न स्तरों पर निगरानी समितियां गठित की जाती हैं।

अनुलग्नक-1

'किशोरियों के लिए योजना' विषय पर श्री नारणभाई काछड़िया और श्री परबतभाई सवाभाई पटेल द्वारा दिनांक 26 जुलाई, 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 499 के उत्तर के भाग (क) से (ड) में संदर्भित विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान एसएजी के तहत पोषण लाभार्थी

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पोषण लाभार्थी (11-14 वर्ष की स्कूल छोड़ चुकी लड़कियां)		
		2016-17	**2017-18**	**2018-19**
1	आंध्र प्रदेश	15261	14763	39181
2	अरुणाचल प्रदेश	526	266	सूचना नहीं दी गई
3	असम	74727	सूचना नहीं दी गई	54352
4	बिहार	492609	396805	130222
5	छत्तीसगढ़	14681	13673	16093
6	गोवा	42	45	21
7	गुजरात	सूचना नहीं दी गई	सूचना नहीं दी गई	174620
8	हरियाणा	592	667	5066
9	हिमाचल प्रदेश	944	939	630
10	जम्मू और कश्मीर	9480	सूचना नहीं दी गई	16963
11	झारखंड	58568	63515	सूचना नहीं दी गई
12	कर्नाटक	48971	28022	58670
13	केरल	276	712	सूचना नहीं दी गई
14	मध्य प्रदेश	122230	125452	305000
15	महाराष्ट्र	56936	45898	24478
16	मणिपुर	5079	5061	4056
17	मेघालय	1801	1852	1655
18	मिजोरम	1124	897	715
19	नागालैंड	10326	6455	7320
20	ओडिशा	58217	56893	सूचना नहीं दी गई
21	पंजाब	4338	2143	4339
22	राजस्थान	सूचना नहीं दी गई	सूचना नहीं दी गई	173591
23	सिक्किम	सूचना नहीं दी गई	6	सूचना नहीं दी गई
24	तमिलनाडु	2453	2337	सूचना नहीं दी गई
25	तेलंगाना	8369	सूचना नहीं दी गई	19410
26	त्रिपुरा	2930	971	56045
27	उत्तर प्रदेश	496000	सूचना नहीं दी गई	277000
28	उत्तरांचल	सूचना नहीं दी गई	सूचना नहीं दी गई	सूचना नहीं दी गई
29	पश्चिम बंगाल	1996	2842	43287
30	अंडमान और निकोबार द्वीप	31	25	21
31	चंडीगढ़	220	186	55
32	दमन और दीव	0	0	20
33	दादर एवं नागर हवेली	652	सूचना नहीं दी गई	सूचना नहीं दी गई
34	दिल्ली	5029	3383	2152
35	लक्षद्वीप	9	10	7
36	पुद्दुचेरी	16	18	22
	कुल	**1494433**	**773836**	**1414991**

NR: सूचना नहीं दी गई